It is expected that the relaxations now announced, would facilitate the establishment of new sugar units in the cooperative and public sectors in the industrially backward areas. The relaxation of the spatial distance from 40 to 25 Kms will also facilitate setting up of new units in certain areas where cane cultivation is both intensive and extensive, and enough cane is available to sustain additional units even within the radial distance of 25 Kms.

Statement-II

Names of the three proposals pending consideration under the revised Sugar Licensing Policy

Name	Sector	Appn. No. & Date of forwarding by the Department of Industrial Development
1. M/s The Palakonda Coop. Agri & Indi. Society Ltd., Palakonda, District Srikakulam (AP)	Coop.	1124/88/IL dated 25-8-1988.
2. M/s. Jawahar Shetkari SSK Ltd., Hupari, Distt. Kolhapur (Maharashtra)	Coop,	582/88/IL dated 11-5-1988.
3. M/s UP Coop Sugar Factories Federation Ltd., Baheri-Brahmnan, Tehsil-Thakurdwara, Di tt. Moradabad(UP)	Coop.	1476-(88)-IL dated 13-10-1988.

Central Assistance to Maharashtra under Special Foodgrains Production Programme

577. SHRI VISHWASRAO RAMA-RAO PATIL; Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the amount of Central assistance granted to Maharashtra during the past two years i.e., in 1987-88 and 1988-89. yearwise, under Special Foodgrains Production Programme;

(b) the target fixed and achieved during the above period; year-wise;

(c) whether any target has been fixed for 1989-90 for Maharashtra; and

(d) if so, the funds earmarked as Central assistance for 1989-90 under the Special Foodgrains Production Programme?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY (OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV); (a) and (b) Special Foodgrain Production Programme was launched in Kharif 1988-89. The State of Maharashtra was provided an amount of Rs. 322.76 lakh during 1988-'89 to achieve targetted production of 25.50 lakh tonnes of rice and 11.00 lakh tonnes of pulses. As against these targets production of rice and pulses is likely to be around 26.08 and 17.44 lakh tonnes respectively.

(c) and (d) For 1989-90 a target of 28 lakh tonnes has been fixed for rice and a target of 14.50 lakh tonnes has been fixed for pulses. A sum of Rs. 282 lakhs has been allocated to the State of Maharashtra towards 75 per cent share of Government of India Out of this amount Rs. 240 lakhs is for rice and balance Rs. 42 lakhs is for pulses.

नई चीनी मिलों की स्थापित किया जाना

578. श्री मोर्जा इर्शादबेग : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिलें स्थापित किये जाने संबंधी कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक कोई निर्णय ले लिए जाने की सम्भावना है;

(ग) इस संबंध में नई अनुज्ञापन नीति क्या है;

(घ) कितनी नई चीनी मिलें कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि हो जाने की सम्भावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा): (क) और (ख) 7वीं योजना के लिए लाइसेंसिंग संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की घोषणा करने के बाद, सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिलों की स्थापना करने के लिए अब तक 84 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । 84 मामलों में से 64 मामलों पर खाद्य विभाग द्वारा विचार किया जा चुका है । शेष मामलों में यथाशीघ्र विचार किए जाने की सम्भावना है ।

(ग) दिनांक 2-1-87 का एक प्रेस नोट विवरण 1 के रूप में संलग्न है जिसमें सरकार द्वारा घोषित लाइसेंसिंग नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत दिए गए हैं । भारत सरकार ने इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में कुछेक रियायतें देने की भी घोषणा की है । लोक सभा के पटल पर रखे गए वक्तव्य की एक प्रति विवरण 2 के रूप में संलग्न है ।

(घ) और (ङ) सामान्यतया आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के बाद नई चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए 3-4 वर्ष का समय लग जाता है । अतः स्थापित की जाने वाली मिलों की संख्या और उत्पादन क्षमता में वृद्धि ऐसी फैक्ट्रियों के प्रोत्साहकों, जिन्हें औद्योगिक विकास विभाग द्वारा आशय-पत्र जारी किए गए थे, द्वारा की जाने वाली प्रभावी कार्रवाई पर निर्भर करेगी । जिन 47 नई चीनी मिलों को 7वीं योजना के दौरान आशय-पत्र मंजूर किए गए हैं उनकी चीनी की उत्पादन क्षमता लगभग 15.19 लाख मीटरी टन होगी ।

विवरण-1

भारत सरकार
उद्योग मंत्रालय
उद्योगिक विकास विभाग

प्रेस नोट सं० 1
(1987 सिरीज)

विषय:—सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने और वर्तमान चीनी फैक्ट्रियों का विस्तार करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत ।

सरकार ने गन्ने के और विकास के लिए संभाव्यता के साथ गन्ने की आश्वासित उपलब्धता के क्षेत्रों में चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने और चीनी फैक्ट्रियों का विस्तार करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने का निर्णय किया है ।

2. इस सम्बन्ध में अपनाए जाने वाले मुख्य-मुख्य मार्गदर्शी सिद्धांत नीचे दिये जाते हैं :—

(1) नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए पहले सहकारी क्षेत्र को और बाद में सार्वजनिक क्षेत्र को लाइसेंस देने की छठी योजनावधि के दौरान अपनाई गई नीति सातवीं योजनावधि में भी जारी रहेगी । तथापि, ऐसे क्षेत्रों में जहां के लिए इन दोनों क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होते हैं, उस दशा में निजी क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा ।

(2) नयी चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए मूल कसौटी प्रस्तावित फैक्ट्री स्थान के इर्द-गिर्द के सुसम्बद्ध क्षेत्र में

गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता होगी । गन्ने की खेती के लिए सम्भाव्यता केवल अतिरिक्त घटक होगा ।

(3) ऐसे स्थानों में जहां एक ही जिले में भारी संख्या में चीनी फैक्ट्रियां स्थित हैं, उस जिले में किसी मौजूदा फैक्ट्री की क्षमता में विस्तार करने अथवा नई चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के अनुरोध पर विचार करने से पहले राज्य सरकारों को प्रत्येक मौजूदा चीनी फैक्ट्री के लिए गन्ना क्षेत्रों के उचित जोन बनाने चाहिएं । राज्य सरकारों को गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अधीन ऐसे क्षेत्रों के आरक्षण को विनियमित करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं ।

(4) वर्तमान क्षमता और भावी विस्तार के लिए पर्याप्त मात्रा में गन्ने की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान यूनिट के 40 किलोमीटर के दायरे में नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए सामान्यत: या कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा ।

(5) जहां तक सातवीं योजनावधि के दौरान नए चीनी यूनिटों की प्रारंभिक लाइसेंस शुदा क्षमता और मौजूदा यूनिटों के विस्तार के लिए दिए जाने वाले लाइसेंस का सम्बन्ध है, नये यूनिटों को 2500 टी०सी०डी० की प्रारंभिक क्षमता के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे और गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता की शर्त पर मौजूदा यूनिटों में 3500 टी०सी०डी० तक विस्तार करने की अनुमति दी जाएगी ।

मौजूदा यूनिटों में अधिकतम 5000 टी०सी०डी० तक विस्तार करने की अनुमति इस शर्त पर दी जाएगी कि 3500 टी०सी०डी० से अधिक गन्ने की अतिरिक्त आवश्यकता को बढ़ायी गई उत्पादकता से और न कि गन्ने के अधीन क्षेत्र को बढ़ाकर पूरा किया जाता है ।

(6) गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता और तकनीकी - आर्थिक व्यवहार्यता की शर्त को पूरा करने पर पिछड़े हुए क्षेत्र में नये चीनी यूनिट स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने को अग्रता दी जाएगी ।

(7) नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने और मौजूदा यूनिटों का विस्तार करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र औद्योगिक विकास विभाग में औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय को भेजने के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाने चाहिएं । आवेदन पत्र भेजते समय राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित फैक्ट्री क्षेत्र में गन्ने की उपलब्धता स्थिति के स्पष्ट और व्यापक ब्यौरों सहित अपनी विशिष्ट सिफारिशें भेजी जानी चाहिएं ।

हस्ता०/--
(पी० के० एल० अय्यर)

निदेशक
नई दिल्ली
दिनांक 2-1-1987
फा० संख्या 10/133/86-एल०पी०

प्रेस सूचना ब्यूरो से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त प्रेस नोट का व्यापक प्रचार करें ।

प्रेस सूचना ब्यूरो,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली ।

विवरण--2

सातवीं योजनावधि के लिए चीनी लाइसेंसिंग नीति में परिवर्तन करने के बारे में लोक सभा में श्री सुख राम, खाद्य और नागरिक पूर्ति राज्य मंत्री द्वारा 5-4-1989को दिया गया वक्तव्य

महोदय,

जैसाकि माननीय सदस्य अवगत हैं, केन्द्रीय सरकार ने दिसम्बर, 1986, में सातवीं योजनावधि के लिए नयी चीनी लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की थी । इस नीति के अधीन सातवीं योजना के दौरान स्थापित किए जाने वाले नये चीनी

यूनिटों की आरम्भिक क्षमता 2500 टी०सी०डी० (गन्ने की प्रतिदिन मीटरी टन पिराई) निर्धारित की गयी थी, जबकि पिछली योजना में यह क्षमता 1250 टी०सी०डी० थी । ऐसा परिमाण मूलक सुलाभ का फायदा उठाने और आधुनिक प्रौद्योगिकी का समावेश करने के लिये किया गया था, नयी चीनी फैक्ट्री और वर्तमान यूनिटों के बीच स्थानिक दूरी को 40 किलोमीटर रखा गया था जबकि पिछली बार 30 किलोमीटर की दूरी निश्चित की गयी थी। इस नीति की घोषणा करने के बाद से उच्च पूंजीगत लागत और गन्ना उत्पादकों अथवा राज्य सरकारों से अपेक्षित अंशदान की तदनुरूपी उच्चतर मात्रा और प्रारम्भ से ही अपेक्षित गन्ने की अधिक उपलब्धता की दृष्टि में विशेषतया औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों के संबंध में इन शर्तों में ढील देने के लिये उद्योग तथा कुछ राज्य सरकारों द्वारा अभ्यावेदन दिये गए हैं। अतः सरकार ने चीनी लाइसेंसिंग नीति की सीमित समीक्षा की है और सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद सातवीं योजनावधि के लिये पहले घोषित की गयी नई चीनी लाइसेंसिंग नीति में निम्नानुसार रियायतें देने का निर्णय किया है :—

(क) भारत सरकार द्वारा औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों के रूप में निर्दिष्ट क्षेत्रों तथा जिन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा गन्ने के विकास के लिये कृषि मौसमी दृष्टि से उपयुक्त प्रमाणित किया गया हो, में सहकारी और सरकारी क्षेत्रों में 1750 टी०सी०डी० की आरम्भिक क्षमता के लिये नयी चीनी फैक्ट्रियों के लिये लाइसेंस प्रदान करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि ये यूनिट उत्पादन शुरू करने की तारीख से 5 वर्षों के अन्दर अपनी क्षमता का विस्तार 2500 टी. सी. डी. तक कर लेंगे।

(ख) निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर 40 किलोमीटर की स्थानिक दूरी को कम कर 25 किलोमीटर किया जा सकता है :—

(i) गन्ने की प्रति हैक्टर औसत पैदावार गन्ने की राष्ट्रीय औसत पैदावार से कम से कम 20 प्रतिशत तक अधिक होनी चाहिये ।

(ii) कम से कम 40 प्रतिशत क्षेत्र सी०ओ०जे०-64, सी० ओ०सी०-671 आदि जैसी-उन्नत और अधिक सुक्रोज के गन्ने की किस्मों के अधीन होना चाहिये ।

(iii) लाइसेंसिंग प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वर्तमान फैक्ट्रियों (गन्ने के और सघन विकास के लिये संभाव्यता सहित) के लिये पर्याप्त मात्रा में गन्ना निरन्तर उपलब्ध रहेगा।

तथापि, ऐसे मामलों में न्यूनतम 2500 टी०सी०डी० की आरम्भिक क्षमता के लिये ही लाइसेंस दिये जाते रहेंगे।

(ग) 2500 टी०सी०डी० की क्षमता के चीनी यूनिटों के लिये इस समय उपलब्ध प्रोत्साहन 1750 टी०सी०डी० के नये यूनिटों के लिये भी आरम्भ में केवल 5 वर्षों के लिये उपलब्ध होंगे।

सातवीं योजनावधि के दौरान नये चीनी यूनिट स्थापित करने के लिये लाइसेंस प्रदान करने विषयक वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन किया जा रहा है, ताकि उनमें उपर्युक्त रियायतें शामिल की जा सकें। नये चीनी यूनिटों को लाइसेंस प्रदान करने के लिये समूचा मार्गदर्शी सिद्धांत यह सुनिश्चित करने के लिये होगा कि जिन नये चीनी यूनिटों को लाइसेंस प्रदान किये जाने हैं, उनके लिये तथा वर्तमान फैक्ट्रियों के लिये गन्ने के और सघन विकास की संभाव्यता के साथ वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त मात्रा में गन्ना उपलब्ध हो।

आशा है कि अब घोषित की गयी रियायतों से औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में सहकारी और सरकारी क्षेत्रों में नये चीनी के यूनिट स्थापित करने में मदद मिलेगी। स्थानिक दूरी को 40 किलोमीटर से कम कर 25 किलोमीटर कर देने से भी कुछ ऐसे क्षेत्रों में नये यूनिट स्थापित करने में भी मदद मिलेगी जहां गन्ने की सघन और भूप्रधान खेती की जाती है, और जहां 25 किलोमीटर की अरीय दूरी के अन्दर भी स्थित अतिरिक्त यूनिटों का पोषण करने के लिये भी पर्याप्त गन्ना उपलब्ध होता है।

चीनी संबंधी नीति

579. **श्री मीर्जा इर्शादबेग** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुज्ञापन नीति और चीनी नीति में कोई परिवर्तन किये गये हैं तथा यदि हां, तो इनसे चीनी के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ख) देश में चीनी का वास्तव में कितना उत्पादन होता है और इसकी मांग कितनी है और इस वर्ष चीनी की मांग को किस प्रकार पूरा किये जाने की संभावना है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) सातवीं योजनावधि के लिये चीनी लाइसेंसिंग नीति की समीक्षा करने के पश्चात सरकार ने औद्योगिक रूप से पिछड़े इलाकों में सहकारी और निजी क्षेत्रों में स्थापित करने के लिये लाइसेंस देने के प्रयोजन हेतु नये चीनी यूनिटों की आरम्भिक क्षमता को 2500 टी०सी०डी० (मीटरी टनों में दैनिक गन्ना पेराई क्षमता) से कम कर 1750 टी०सी०डी० करने का निर्णय किया है। यह भी निर्णय किया गया है कि कुछेक शर्तों को पूरा करने पर मौजूदा और नये चीनी यूनिटों के बीच 40 किलोमीटर की निर्धारित अरीय दूरी में ढील देकर उसे 25 किलोमीटर कर दिया जाये।

इसके अतिरिक्त, 1988-89 के चालू मौसम के लिये घोषित की गई चीनी नीति में, चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने से सांविधिक न्यूनतम मूल्य को 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर 18.50 रुपये से बढ़ाकर 19.50 रुपये प्रति क्विन्टल कर दिया गया है। मुक्त बिक्री के कोटे की प्रतिशतता को भी 50 से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया है।

नीति में इन परिवर्तनों से नई चीनी क्षमता स्थापित करने, उद्योग की सक्षमता में सुधार करने, जिसके फलस्वरूप चीनी के उत्पादन में वृद्धि होगी, में मदद मिलने की संभावना है।

(ख) 1988-89 के चालू मौसम के दौरान 7 अप्रैल, 1989 तक 77.44 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ है, जबकि पिछले वर्ष की इसी तारीख तक 72.96 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था। चालू मौसम के दौरान चीनी का अधिक उत्पादन होने की प्रत्याशा में और मौसम के आरम्भ में आने वाला स्टाक उपलब्ध होने से, देश की आन्तरिक आवश्यकता को पूरा करने के लिये चीनी का पर्याप्त स्टाक उपलब्ध होगा।

व्हाइट फ्लाई इत्यादि के कारण कपास उत्पादकों को हुई हानि

580. **श्री मीर्जा इर्शादबेग** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कपास के उत्पादन के के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और प्रत्येक राज्य में इसका कितना-कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) किन-किन राज्यों में व्हाइट फ्लाई तथा अन्य हानिकारक कीड़ों के कारण कपास के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; इसके कारण प्रत्येक